

समक्ष एन.के. सूद, माननीय न्यायमूर्ति

सुनहरी और अन्य, —प्रतिवादी / अपीलकर्ता
बनाम

लाला राम (मृत) अपने क़ानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

तथा अन्य, — वादी / उत्तरदाता

R.S.A. No. 380 of 1980

7 जनवरी, 2005

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 — एक विधुर द्वारा आओने भाई की दो बेटियों के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत का निष्पादन — दूसरे भाई के बेटे द्वारा चुनौती— दोनों न्यायालयों ने निष्पादन को स्वीकार किया — आरोप है कि निष्पादन के समय मानसिक संतुलन नहीं था — साबित करने का दायित्व— ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति पर — निचले न्यायालयों के निष्कर्ष कि निष्पादक मस्तिष्क से स्वस्थ नहीं था स्पष्ट रूप से कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध —वसीयत को सौंछिक साबित करने का दायित्व वादी पर — निचले न्यायालयों के निष्कर्ष कि इस बात को साबित करने का दायित्व वसीयत के प्रतिपादक पर — अपील को अनुमति, वादी का दावा खारिज।

अभिनिर्धारित, एक बार जब वसीयत साबित हो जाती है, तो इस बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वसीयकर्ता वसीयत को बनाने के समय उचित और संयमित मानसिक अवस्था में था। लेकिन जब एक वसीयत को मानसिक अक्षमता के आधार पर विवादित किया जाता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी यह कहने वाले की होती है। उसे साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होता है। जब वसीयत को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना हो कि वसीयकर्ता एक उचित और संयमित मानसिक अवस्था में

नहीं था, तो न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर निश्चित निर्णय दिया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में, निर्णय यह है कि "प्रतिवादी (अपीलार्थी) "ने साबित नहीं किया कि वसीयत बनाने के समय वसीयतकर्ता उचित और संयमित मानसिक अवस्था में था"। यह निर्णय क़ानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध है।

(पैरा 24 और 25)

और निर्धारित, वर्तमान मामले में मैम राज वसीयत का लाभार्थी नहीं है अपितु उसकी पत्नी है। हालांकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने वसीयत के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लिया था या वसीयतकर्ता से जबरदस्ती की थी। निचली अदालतों द्वारा यह निष्कर्ष निकालना की अपीलार्थियों द्वारा वसीयत के स्वैच्छिक होने के सबूत के अभाव में वसीयत मान्य नहीं है साक्ष्य के नियमों के विरुद्ध है। यदि वादी को इस तरह का आरोप लगाना था, उसे यह वादपत्र में कहना चाहिए था और साक्ष्य द्वारा इसे प्रमाणित करना चाहिए था। यह स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। इस प्रकार, नीचे दी गई अदालतों की यह खोज सही नहीं कही जा सकती है।

(पैरा 30)

वी. क. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ में अनिल बंसल,
अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता

संजय बंसल, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता

निर्णय

एन. के. सूद , माननीय न्यायमूर्ति

(1) यह दूसरी अपील विद्वत् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के दिनांक 4 दिसंबर, 1979 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें

न्यायालय ने अपीलकर्ता-प्रतिवादियों की उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, अंबाला के दिनांक 2 फरवरी, 1979 के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया था।

(2) विवाद पर ध्यान देने से पहले, इस मामले से जुड़े सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं :

(3) बीरू, बख्तवार और बदहवा तीन भाई थे; सभी राजा राम के पुत्र थे और गाँव मनु माजरा, तहसील एवं ज़िला अंबाला के निवासी थे। विधुर बादवा की मृत्यु 1972 में हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके भाइयों की मृत्यु उससे पहले ही हो चुकी थी। उसने 3 अगस्त, 1970 को अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत बनायी। उसने वसीयत के माध्यम से अपने भाई बीरू की दोनों बेटियाँ सुनेहरी देवी और सोना देवी के नाम अपनी संपूर्ण संपत्ति कर दी। उसके दूसरे भाई बख्तावर के पुत्र लाला राम (वादी / उत्तरदाता) ने उक्त वसीयत के विरुद्ध 15 जून, 1973 को एक दावा डाला जिसमें उन्होंने वसीयत की विषय वस्तु वाली जायदाद के आधे हिस्से का क़ब्ज़ा माँगा। यह दावा वादी ने इन आधारों पर किया कि वसीयत कभी निष्पादित नहीं की गई थी और यह एक जाली दस्तावेज़ है। न ही वसीयतकर्ता का वसीयत करते समय मानसिक संतुलन ठीक था। वसीयतकर्ता वसीयत करने में अक्षम था क्योंकि मुख्य रूप से कृषक होने के नाते वह रीति रिवाज़ों द्वारा शासित थे। उन्होंने दावा किया की वसीयत अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत का परिणाम थी तथा अपीलकर्ताओं पर बाध्य नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि लाला राम के अलावा बख्तवार की भी छह बेटियाँ थीं। हालांकि,

मुकदमा लाला राम ने अकेले दायर किया था। इस वाद में बीरू राम के सभी पांच बच्चे पुत्र सरूप सिंह और पुत्रियाँ सुनेहरी देवी, सोना देवी, इचरा और जोगिंद्रों को प्रतिवादी बनाया गया था। सोना देवी के पति मैम राज को भी प्रतिवादी बनाया गया था।

(4) वाद केवल अपीलकर्ताओं सुनेहरी और सोना देवी द्वारा लड़ा गया था। वसीयत के तहत लाभार्थी और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ एक तरफ़ा कार्यवाही की गई थी। उन्होंने कहा कि वसीयत मृतक के उनके प्रति प्यार और स्नेह और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का परिणाम थी। उन्होंने दावा किया कि विवादित संपत्ति पैतृक नहीं थी और मृतक ने बख्तवारी के साथ करवा विवाह किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वसीयत मृतक द्वारा बनायी गई थी और वह मानसिक रूप से स्वस्थ थे।

(5) लाला राम ने एक प्रतिकृति दायर की और वाद में किए गये आरोपों की फिर से पुष्टि की। उन्होंने विशेष रूप से इस दावे को विवादित किया कि बदहवा ने बख्तावरी के साथ करवा विवाह किया था।

(6) पार्टियों की दलीलों पर, ट्रायल न्यायालय ने निम्नलिखित विवाधक बनाये

: —

1. क्या मृतक बदवा विवादित संपत्ति का मालिक था ? **OPP**
2. यदि पहला इशू सिद्ध हो जाता है, तो वादी को राजा राम के पुत्र बदवा की जायदाद का कीट हिस्सा मिलेगा ? **OPP**

3. क्या बादवा ने प्रतिवादी के नाम कोई वैध वसीयत कड़ी थी , यदि हां,
तो उसका प्रभाव ? **OPD**

4. राहत

पार्टियों द्वारा दिये गये सबूतों को स्वीकार करने के बाद विवाधक संख्या 1 को वादी के पक्ष में तय किया गया था और यह आयोजित किया गया था कि बादवा विवादित संपत्ति का मालिक था। ट्रायल न्यायालय ने संपत्ति के पैतृक होने के प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि दोनों पक्षों ने इस विवधक पर बल नहीं दिया। विवधक संख्या 2 के तहत यह प्रेक्षित किया गया कि यह मुद्दा केवल तभी था जब विवाधक संख्या 3 के तहत यह पाया जाता कि बादवा द्वारा सेनहरी देवी और सोना देवी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी। इसलिए, यह निर्धारित किया गया था कि यदि वसीयत साबित नहीं होती है, तो, वादी – लाला राम विवादित संपत्ति के 1/6 हिस्से का हकदार होगा। यह विवाधक आंशिक रूप से वादी के पक्ष में और आंशिक रूप से उसके खिलाफ तय हुआ। विवाधक संख्या 3 के तहत यह निर्धारित किया गया था कि हालांकि प्रतिवादियों ने यह साबित कर दिया था कि 3 अगस्त, 1970 की वसीयत बादवा द्वारा निष्पादित की गई थी लेकिन वे यह साबित करने में विफल रहे कि निष्पादन के समय वसीयतकर्ता का मानसिक संतुलन ठीक था और उसने स्वेच्छा से वसीयत निष्पादित की थी। इस प्रकार, विवाधक संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादियों के खिलाफ लिया गया था ।

(7) ट्रायल न्यायालय के फैसले से असहमत होकर प्रतिवादियों – सुनेहरी देवी और सोना देवी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष अपील दायर की। अपील में केवल विवादक संख्या 3 पर निर्णय को ही चुनौती दी गई। निचली अपील अदालत ने ट्रायल न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा और परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई।

(8) वर्तमान अपील पर इन उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। शुरुआत में ही अपीलकर्ताओं के वकील को यह समझाने के लिए कहा गया था कि निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष की वसीयत निष्पादित करते समय बदवा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था से हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है।

(10) श्री वी. के. जैन, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया निचली अदालतों के निष्कर्ष न केवल साक्ष्य के नियमों के गलत प्रयोग पर आधारित हैं बल्कि उसमें मूल साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 16 का उल्लेख किया जहां यह लिखा है कि अपीलकर्ता (प्रतिवादी) यह "सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता स्वस्थ और व्यवस्थित मस्तिष्क वाला थे और वसीयत Ex. D1 को उन्होंने स्वेच्छापूर्वक निष्पादित किया था।" उन्होंने कहा कि वसीयतकर्ता के ठीक मानसिक संतुलन की प्रकल्पना थी और कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत निष्पादित नहीं की थी को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो ये बात कहता है। उनका दावा यह था कि लाला राम ने किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत

नहीं किया था जिससे सिद्ध हो कि बदवा वसीयत बनाने के समय स्वस्थ और मानसिक तौर पर संतुलित नहीं थे। उसे इस दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध करने थे और वह यह नहीं कह सकता था कि प्रतिवादि यह सिद्ध करने में विफल हो गये थे। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी : —

1. चरण सिंह और अन्य बनाम बलवंत सिंह और अन्य , (1)
2. श्रीमती भाग्य वती बनाम आम जनता और अन्य , (2)
3. बिशुप्रिया मोहपात्रा और अन्य बनाम बाटा कुशना मोहपात्रा और अन्य, (3)
4. मधुकर डी. शेनडे बनाम ताराबाई आबा शेडेज (4),
5. बैज नाथ चौधरी बनाम दिलीप कुमार और अन्य, (5) और
6. रमाबाई पदमाकर पटियाल (मृत) और अन्य अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम रुक्मिणीबाई विष्णु वेखांडे और अन्य, (6)

-
1. 1997 PLR 118 (P&H)
 2. (1994-2) PLR 649 (P&H)
 3. AIR 1993 Orrisa 218
 4. (2002) 2 SCC 85
 5. (2001) 9 SCC 316
 6. (2003) 8 SCC 537

इसलिए, उन्होंने कहा कि वादी द्वारा वसीयतकर्ता के मानसिक संतुलन के बारे में कोई भी सबूत नहीं दिये जाने के कारण वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जब वसीयत निष्पादित हुई थी तब बदवा का मानसिक संतुलन ठीक था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने DW-1, दर्शन कुमार, वसीयत के लेखक के बयान का उल्लेख किया जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वसीयत लिखने के समय बदहवा राम तंद्रुस्त अवस्था में थे। फिर, उन्होंने **DW-2** धानी, अधिवक्ता, वसीयत के गवाह, के बयान का उल्लेख किया जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि वसीयत निष्पादन के दिन बदवा एक स्वस्थ अवस्था में था। दर्शन कुमार और धानी राम के बयान पर जिरह में भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। जिरह में बदवा के मानसिक संतुलन में ना होने के बारे में कोई सुझाव न दिया गया। विद्वान वकील ने **DW-3** शेर सिंह, वसीयत के गवाह, के बयान का उल्लेख किया। उन्होंने भी गवाही दी कि बादवा एक स्वस्थ अवस्था में था। हालांकि, जिरह में उन्हें यह एकमात्र सुझाव दिया गया था कि क्या बदहवा अंबाला में किसी उपचार से गुजरा था जब वह वसीयत को निष्पादित करने के लिए आया था। जवाब में, शेर सिंह ने कहा था कि बदवा किसी उपचार से नहीं गुजरा था और वह ठीक ठाक था। बदहवा की मानसिक स्थिति के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गई रिकॉर्ड पर सबूत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बादवा वसीयत के निष्पादन के समय स्वस्थ अवस्था में था।

(11) विद्वान वकील ने उस खोज का खंडन किया जहां अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि वसीयत स्वेच्छा से की गई थी। उन्होंने यह कहा की सबसे पहले यह खोज वादपत्र के परे है। उसने वादपत्र और प्रतिकृति के विषयवस्तु का संदर्भ दिया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वसीयत का निष्पादन किसी प्रभाव या ज़बरदस्ती के तहत किया हो। विद्वान वकील ने यह दलील भी दी कि वादी के यह बात कहने पर उसे साबित करने का दायित्व उस पर था। वादी द्वारा इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि किसी व्यक्ति ने कथित तौर पर वसीयत के निष्पादन के लिए बदवा पर कोई दबाव डाला हो। उन्होंने यह भी कहा की निचली अदालतों ने वसीयत की स्वेच्छा को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर डाल दिया जो साक्ष्य के बुनियादी नियमों के विरुद्ध है। ऐसी कोई प्रकल्पना प्रतिवादियों पर नहीं डाली जा सकती थी। उन्होंने फिर से, **DW-1**, **DW-2** और **DW-3** के साक्ष्य का उल्लेख किया कि उन्हें जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था की वसीयत दबाव या जबरदस्ती के तहत निष्पादित की गई है। वसीयत के लेखक मुंशी दर्शन कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने बदहवा राम के कहने पर वसीयत को लिखा था और उन्होंने इसे पढ़कर बदवा को सुनाया था। यह गवाहों धानी राम, अधिवक्ता, दलीप सिंह और शेर सिंह की उपस्थिति में किया गया था। इस दलील को जिरह में भी चुनौती नहीं दी गई थी। धानी राम, अधिवक्ता ने भी यह कहा कि बदवा राम ने उनकी उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की थी और वसीयत उनको पढ़कर समझा दी गई थी और उसके बाद बदवा ने वसीयत पर अपने अंगूठे का निशान लगाया

था। इसे भी जिरह में चुनौती नहीं दी गई थी। DW-3 की गवाही भी समान है।

(12) विद्वान वकील ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा इस आधार पर गलत तरीके से प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है कि मैम राज (प्रतिवादी संख्या 6), जो कि वसीयत के निष्पादन के समय मौजूद था ने न तो कोई जवाब दावा दिया है और न ही कोई गवाही दी है। यह तर्क पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि मैम राज के खिलाफ न ही वाद में और न ही प्रतिकृति में उनके द्वारा बदवा पर दबाव डालने का कोई आरोप लगाया गया था। मैम राज की एकमात्र भूमिका यह थी कि वह वसीयत के निष्पादन के समय बदहवा के साथ था। इसलिए उन्होंने यह कहा कि इस तथ्य को एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है कि उसने बदवा पर वसीयत बनाने के लिए कोई दबाव डाला था। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **श्रीमती मलकानी बनाम जमादार और अन्य, (7) का सहारा लिया।** इन परिस्थितियों में मैम राज को जवाबदावा दायर करके या गवाही देके बदवा पर दबाव डालने वाली बात से इनकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(13) विद्वान वकील ने यह भी बताया कि ट्रायल न्यायालय की गवाह दलीप सिंह के बारे में आपत्ति की उसकी गवाही नहीं ली गई और बदवा के गाँव से कोई गवाह नहीं आया कोई मायने नहीं रखती क्योंकि ट्रायल न्यायालय ने वसीयत के निष्पादन को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के धारा 68 के प्रावधानों का उल्लेख किया जिसके अनुसार एक दस्तावेज साबित करने के लिए केवल एक गवाह की गवाही पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि तीन

गवाहों में से दो की गवाही हुई थी और इसलिए तीसरे गवाह दलीप सिंह की गवाही ना होने से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय **पलानिवेलुथम पिल्लई और अन्य बनाम रामचंद्रन और अन्य, (8)**। उन्होंने ने यह भी कहा कि यह कानून में कोई आवश्यकता नहीं थी कि गवाह उसी गाँव या उसी इलाके से होने चाहिए। उन्होंने **तारा सिंह बनाम Smt. शांति और अन्य, (9)** तथा **सदासिवम् बनाम के डोराइसवामी , (10)** का हवाला दिया।

(14) उन्होंने और यह तर्क दिया कि निचली अदालतों ने गलत तरीके से देखा कि बादवा ने कोई कारण नहीं बताया कि उसने क्यों अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को छोड़कर केवल अपने भाई बीरु की दो बेटियों के पक्ष में वसीयत बनायी। विद्वान वकील ने बताया की यह अवलोकन तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने वसीयत का संदर्भ दिया जिसमें बादवा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी भतीजी सोना देवी और सुनेहरी देवी उसकी देखभाल करती हैं और उसे उनके लिए विशेष प्यार और स्नेह है। तदनुसार, उन्होंने यह तर्क दिया कि ट्रायल न्यायालय के पैरा 14 का निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

(15) श्री संजय बंसल, प्रतिवादी के वकील ने निचले न्यायालयों के आदेशों का समर्थन किया।

(16) मैंने पार्टियों के अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(17) अपीलकर्ताओं की ओर से उठायी गई दलीलों का अवलोकन करने के लिए ट्रायल न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जो अपीलिय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था को संदर्भित करना आवश्यक है। पैरा -16 में दर्ज निष्कर्ष इस प्रकार हैं: —

"16. ऊपर दिए गए कारणों के लिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रतिवादियों ने यह साबित करने में सफलता हासिल की है कि वसीयत Ex. D1 को बादवा राम ने निष्पादित किया था लेकिन वे यह साबित करने में असफल रहे कि वसीयत के निष्पादन के समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ थे तथा वसीयत स्वेच्छा से उसके द्वारा निष्पादित की गई थी। यह साबित हो चुका है कि वसीयत Ex. D1 स्वेच्छा से निष्पादित हुई थी। और विवाधक संख्या 3 प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। "

(18) ऊपर उल्लिखित शब्दों से यह स्पष्ट है कि वसीयत का निष्पादन बदवा द्वारा किया गया है और निचली अदालतों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है। इसलिए क़ानूनी प्रश्न यह है कि क्या नीचे के न्यायालयों द्वारा प्रतिवादियों पर बदवा के मानसिक स्वास्थ्य और कि वसीयत उसके द्वारा स्वेच्छा से बनायी गई थी को साबित करने का दायित्व डालना उचित था।

(19) चरण सिंह के मामले (*Supra*) में इस न्यायालय ने (पृष्ठ 122 पर) यह प्रेक्षित किया था : —

"एक सामान्य नियम के तौर पर, जब तक विपरीत का प्रमाण नहीं दिया जाता, एक वसीयतकर्ता को समझदार माना जाता है और यह माना जाता है की उसमें मानसिक क्षमता होती है कि वह एक मान्य वसीयत बना सकता है। इसी तरह, जब एक वसीयती दस्तावेज तार्किक होता है, विधिक रूप में होता है, और उसे योग्य ढंग से निष्पादित किया गया हो, तो वसीयती क्षमता का प्रामाणिक संदेश पैदा होता है। यह प्रामाणिक संदेश किसी ठोस साक्ष्य की अनुपस्थिति में मान्य होगा। सामान्यतः संपत्ति का वसीयती निर्धारण सामान्य विरासत के साधारण प्रवाह के साथ मेल नहीं खाता है। इसलिए, जहां एक व्यक्ति साधारण प्रेरणाओं और स्वाभाविक इच्छाओं से प्रोत्साहित होकर अपनी संपत्ति को किसी को देता है जो कि सामान्य प्रवाह से भिन्न है, तो माना जाता है कि वह वसीयतकर्ता ने उसे वजहों से किया है जो उसके लिए तार्किक रूप से संतोषजनक होती हैं। कोई वसीयती अक्षमता का प्रामाण केवल इस बात से नहीं बनाया जा सकता कि वसीयतकर्ता वृद्ध था।"

(20) **श्रीमती भाग्य वती** के मामले में (*Supra*), इस न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि "वसीयतकर्ता को मानसिक क्षमता वाला माना जाता है जब तक इसके विपरीत साबित ना हो".

(21) **मधुकर डी. शेनडे** के मामले (*Supra*) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि वसीयतकर्ता वसीयत बनाने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम थे। वसीयतकर्ता की दिमागी और शारीरिक क्षमता को इस आधार पर संदेहास्पद नहीं किया जा सकता कि किसी डॉक्टर के द्वारा यह साक्ष्य नहीं दिया गया कि वसीयतकर्ता एक स्वस्थ अवस्था में थे। उच्चतम न्यायालय ने

यह भी कहा है कि वसीयत बनाने के समय डॉक्टर को मौजूद रखने के कोई कानूनी या साक्षात्कारी नियम नहीं है।

(22) इसी तरह **बैज नाथ चौधरी** के मामले (*Supra*) में वसीयत को इस आधार पर चुनौती दी गई थी की वसीयतकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ था। यह दलील इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि रिकॉर्ड पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था।

(23) **रमाबाई पद्मकर पटियाल** के मामले (*Supra*) में यह निर्देशित किया गया था कि किसी भी सबूत के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि वसीयतकर्ता वसीयत के निष्पादन के समय मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में नहीं था।

(24) उपरोक्त मामलो से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता की बुद्धिमत्ता का एक प्रत्यायन होता है। एक बार जब वसीयत साबित हो जाती है, तो इस बात को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वसीयतकर्ता वसीयत को बनाने के समय उचित और संयमित मानसिक अवस्था में था। लेकिन जब एक वसीयत को मानसिक अक्षमता के आधार पर विवादित किया जाता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी यह कहने वाले की होती है। उसे साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होता है। जब वसीयत को इस आधार पर अस्वीकार किया जाना हो कि वसीयतकर्ता एक उचित और संयमित मानसिक अवस्था में नहीं था, तो न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर निश्चित निर्णय दिया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में, निर्णय यह है कि "प्रतिवादी (अपीलार्थी) "ने

साबित नहीं किया कि वसीयत बनाने के समय वसीयतकर्ता उचित और संयमित मानसिक अवस्था में था"। यह निर्णय क़ानूनी सिध्दांतो के विरुद्ध है।

(25) हमारे द्वारा पूछे गये प्रश्न पर श्री संजय बंसल, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह स्वीकार किया कि बदवा की मानसिक अक्षमता को साबित करने के लिए वादी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया। दूसरी ओर अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह सही बताया गया है कि DW-1, DW-2 और DW-3 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उस समय बदवा मानसिक रूप से स्वस्थ था। उनके बयान के बारे में बादवा की अक्षमता को लेकर जिरह में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इसलिए बदवा की अक्षमता को लेकर किसी भी सबूत के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि बादवा वसीयत के निष्पादन के समय मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था।

(26) उसी प्रकार, निचली अदालतों का निर्णय जिसमें वसीयत को स्वेच्छापूर्वक नहीं बनाने का निर्णय किया गया था क़ानूनी सिध्दांतो के विपरीत है। यह सही कहा गया है कि वादी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि किसी व्यक्ति ने बधावा पर कोई प्रभाव डाला या उसे वसीयत बनाने के लिए मजबूर किया था। ऐसे किसी भी दावों की अनुपस्थिति में निचले अदालतों द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता था।

(27) और इसके अलावा एक पंजीकृत वसीयत के स्वेच्छापूर्वक होने का तब तक अनुमान रहेगा जब तक उसके विरुद्ध साबित न हो। स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी जो वसीयत को अस्वेच्छापूर्वक बताता है। इस

उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है
**"मिनक्षिम्मल (मृत अपने प्रतिनिधियों द्वारा) और अन्य बनाम चंद्रशेखरण और
अन्य" (11)** जिसके पैरा-20 में यह निम्नलिखित रूप से बताया गया है : –

"जब यह दावा किया जाता है कि वसीयत को अनुचित दबाव में बनाया गया था, तो अनुचित दबाव को साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो ऐसा दावा कर रहा है, और सिर्फ मकसद और अवसर की मौजूदगी ही काफी नहीं होती।"

(28) वर्तमान मामले में न्यायालय ने फिर से वसीयत को स्वेच्छित बताने का दायित्व अपीलार्थी पर ग़लत डाल दिया है। दायित्व स्पष्ट रूप से वादी-उत्तरदाता पर था। वर्तमान मामले में न तो किसी अनुचित दबाव का कोई दावा अभिवचन में किया गया था और न ही उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के सामने किए गए तर्कों के आधार पर सोना देवी के पति माम राज को दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती का दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात से प्रतिकूल अनुमान निकाला जा रहा है कि उन्होंने कोई जवाब दावा नहीं दिया और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। ऐसा अनुमान पूरी तरह से अनुचित है।

(29) मैम राज की एकमात्र भूमिका यह है कि वह वसीयत के निष्पादन के समय बदवा के साथ था। इस बात का प्रतिवादियों या मैम राज द्वारा इनकार नहीं किया गया है। तथापि किसी भी आरोप या सबूत के अभाव में इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने बदहवा पर वसीयत बनाने का कोई दबाव डाला था।

(30) श्रीमती मलकानी के मामले में (*Supra*) यह निर्धारित किया गया था कि लाभार्थी द्वारा वसीयत के निष्पादन में सक्रिय भागीदारी वसीयतकर्ता की क्षमता के बारे में संदेह पैदा नहीं करती है। यदि कोई जबरदस्ती का आरोप लगाया जाता है, तो उसे साबित करना होता है। वर्तमान मामले में मैम राज वसीयत का लाभार्थी नहीं है अपितु उसकी पत्नी है। हालांकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने वसीयत के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लिया था या वसीयतकर्ता से जबरदस्ती की थी। निचली अदालतों द्वारा यह निष्कर्ष निकालना की अपीलार्थियों द्वारा वसीयत के स्वैच्छिक होने के सबूत के अभाव में वसीयत मान्य नहीं है साक्ष्य के नियमों के विरुद्ध है। यदि वादी को इस तरह का आरोप लगाना था, उसे यह वादपत्र में कहना चाहिए था और साक्ष्य द्वारा इसे प्रमाणित करना चाहिए था। यह स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। इस प्रकार, नीचे दी गई अदालतों की यह खोज सही नहीं कही जा सकती है।

(31) उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि विल का निष्पादन प्रश्न में नहीं है। यह साबित हो चुका है। उपरोक्त की गई चर्चा के अनुसार विवाधक संख्या 3 पर ट्रायल न्यायालय का निर्णय पलट दिया जाता है और यह विवाधक प्रतिवादियों के पक्ष में तय किया जाता है।

(32) अंत में , मैं अन्य परिस्थितियों का भी उल्लेख कर रहा हूँ जिसके आधार पर वसीयत पर संदेह किया गया है।

(33) यह दलीलें कि वसीयत के गवाह दलिप सिंह की गवाही ना कराने के बारे में या गवाहों में से कोई गवाह उस गाँव या क्षेत्र का नहीं था मान्य नहीं है कि वसीयत का निष्पादन साबित हो चुका है और निचले न्यायालयों द्वारा

विधिवत साबित और स्वीकार किया जा चुका हैं। इसे इस अदालत के समक्ष चुनौती भी नहीं दी गई है। अन्यथा भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार केवल एक गवाह की गवाही पर्याप्त है जबकि वर्तमान मुकदमे में तीन उपस्थित गवाहों में से दो की गवाही करायी गई है। **पलानिवेलुथम पिल्लई** के मामले (*Supra*) में तीनों में से केवल एक वसीयत के गवाह की जांच की गई। ट्रायल न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था। इसे उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया था।

(34) इसी तरह, यह कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि गवाह उसी इलाके या उसी गांव से होना चाहिए। **तारा सिंह** के मामले (*Supra*), में कहा है कि केवल इसलिए कि वसीयत के गवाह अलग गाँव से थे एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है और विशेष रूप से तब जब उसका प्रतिवादी के विरुद्ध व्यवहार नहीं था या वादी के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस मुकदमे में भी ऐसा कुछ निर्णीत नहीं किया गया था।

(35) इसी तरह, **सदासिवम** के मामले (*supra*) में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वसीयत के गवाह उसी गाँव से नहीं थे सामान्य तौर पर एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है।

(36) निचली अदालतों के निर्णय कि वसीयतकर्ता द्वारा अन्य उत्तराधिकारियों को छोड़कर केवल अपने भाई की दो बेटियों के पक्ष में वसीयत बनाने का कोई कारण ना देना एक संदिग्ध परिस्थिति थी स्पष्ट रूप से गलत तथ्यात्मक आधार पर आधारित है। वसीयत पढ़कर यह पता चलता है

कि बादावा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी दो भतीजियाँ उनकी देखभाल करती हैं और उनके लिए उसका विशेष स्नेह था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बदवा का कोई class-1 वारिस नहीं था। उसके बाद केवल उसके भाई बख्तावर और बीरू राम के 12 बच्चों बच गये थे. बख्तवार के वादी लाला राम सहित 7 बच्चे थे। बीरू राम के वसीयत की लाभार्थी सोना देवी और सुनहरी देवी सहित 5 बच्चे थे। वादी लाला राम के अलावा किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी ने वसीयत को चुनौती नहीं दी थी।

(37) यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जवाबदावा में प्रतिवादियों ने यह दावा किया था कि बदवा ने बख्तावरी के साथ करवा विवाह कराया था। हालांकि, इस तथ्य को वादी द्वारा प्रतिकृति में नकार दिया गया था। इसपर कोई विवाधक नहीं बनाया गया था। इसलिए बख्तावरी को वसीयत से बाहर करने को एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि उनका विवाह साबित नहीं हुआ था। अगर बख्तवारी को बदवा की पत्नी के रूप में माना जाए, जिस तथ्य को मानने से उत्तरदाता-वादी ने इनकार कर दिया था, class-1 वारिस होने के नाते वह बदवा की संपूर्ण सम्पत्ति की हकदार होगी और वादी जो की class-2 वारिस था को कुछ नहीं मिलेगा। इस कारण से प्रतिवादी के वकील ने मेरे सामने स्वीकार किया कि बख्तवारी को हिस्सा ना देना संदेह का आधार नहीं है।

(38) नतीजतन, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और अपील को अनुमति हदी जाती है। लागत के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जाता।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा